

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु.नं.- /23 (दावा) सुम्नो वगैरह बनाम कपूरचन्द वगैरह

किस्म मुकदमा-वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज  <u>सुम्नो</u> बनाम <u>कपूरचन्द वगैरह</u>                  मु.नं. 72/23 (दावा)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीलमें जारी हुए
-------------	---	--

16-5-25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रमाणित दिनांक 13-6-25 को पेश है।

13/6/25 अलिभाऊको द्वारा न्यायिक कार्य स्वगत होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रमाणित दिनांक 04/7/25 को पेश है।

04.7.25 पत्रावली पेश हुई। वसूली के वार-2 कावाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि वसूली पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वसूली की कदम जारी व कदम फेरवी में खरिज की जाती है। पत्रावली के लाल शुमार होकर वापिस इफ्तार हो गई।

उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डावर (दौसा)